UPME010091662026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस.सी/एस.टी एक्ट मेरठ।

उपस्थितः– अमित वीर सिंह (H.J.S.)

J.O. Code No.–UP6240

नियमित जमानत प्रार्थना पत्र सं०–3252/2026

1. आजाद,

2. आसिफ

पुत्रगण नौशाद उर्फ खलीफा निवासी– ग्राम काशी थाना परतापुर, जिला मेरठ।

... ...अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

... ... .अभियोजन।

मु०अ०सं० 170/2026
धारा–191(2), 191(3), 126(2), 131,
115(2), 109(1), 352, 351(3)बी.एन.एस.
व 3(2)5 अनुसूचित जाति, जनजाति
निवारण अधिनियम 1989
थाना– परतापुर, जिला मेरठ।

दिनांक– 03.07.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्तगण **1. आजाद व 2. आसिफ** पुत्रगण नौशाद उर्फ खलीफा निवासी– ग्राम काशी थाना परतापुर, जिला मेरठ का नियमित जमानत प्रार्थना पत्र सं० 3252/2026, मु०अ०सं०–170/2026, अन्तर्गत धारा– 191(2), 191(3), 126(2), 131, 115(2), 109(1), 352, 351(3) बी.एन.एस. व 3(2)5 अनुसूचित जाति, जनजाति निवारण अधिनियम 1989, थाना परतापुर, जिला मेरठ के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया।

2. प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मुख्यतः आधार यह लिया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष है उनका उक्त घटना से कोई ताल्लुक व वास्ता नही है। उक्त केस के वादी द्वारा दिनांक 24.3.2026 की घटना समय 18.30 बजे की दर्शायी गयी है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में एफ०आई०आर० दिनांक 25.3.2026 को समय 2.50 पी०एम० की दर्शायी गयी है। उक्त केस के वादी ने प्रथम सूचना

रिपोर्ट में 29 लोगो को नामजद किया है तथा 100 से 150 अज्ञात व्यक्तियो के विरूद्ध मुकदमा गांव की पार्टीबाजी के कारण झूठा व फर्जी कायम कराया है। राजनैतिक दबाव में मुकदमा कायम हुआ है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण आजाद व आसिफ उक्त केस में नामजद अभियुक्त नही है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण एक गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है । घटना के दिनो वह मेरठ शहर से बाहर ग्राम निममाना फैक्ट्री में मजदूरी पर थे। उक्त केस में आरोप पत्र दिनांक 18.5.2026 को प्रेषित किया जा चुका है। उक्त केस में सहअभियुक्त अली अहमद पुत्र बशीर की जमानत माननीय न्यायालय द्वारा मन्जूर फरमाई जा चुकी है। उक्त केस की घटना के सम्बन्ध में प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष साक्षी नही है तथा अभियुक्तगण आजाद व आसिफ के विरूद्ध नही है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की पत्नी मुबस्सरा ने भी दिनांक 24.3.2026 की घटना की बाबत मु0अ0सं0–271/2026 अन्तर्गत 191(2),191 (3), 151(2),109 (1), 352,351 (3) बी०एन०एस० की धाराओं में दर्ज कराया था जिसमें अभियुक्त नितिन, अर्जुन, सन्तराम, सुनील, कपिल, सोनू, मिन्टू, विक्की, देवेन्द्र आदि है। मु0अ0सं0–170/2026 थाना परतापुर की गवाहान सूची में जो चश्मदीद गवाह व चुटैल दर्शाये गये है उनके विरूद्ध मु0अ 0सं0–271/2026 थाना परतापुर में कायम है जिनके विरूद्ध विवेचना प्रचलित है। जो वर्तमान में अभियुक्तगणो के विरूद्ध गवाह है। उक्त केस के प्रार्थीगण / अभियुक्तगण का प्रथम सूचना रिपोर्ट व अब तक की सम्पूर्ण विवेचना में कही भी कोई घटना में शामिल होने का कोई साक्ष्य सम्पूर्ण केस डायरी में नही बताया है और न ही उक्त केस केन प्रार्थीगण / अभियुक्तगण का कोई विशेष रोल दर्शाया गया है। उक्त केस में घटना एक बलवा प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शाया है जिसको थाना हाजा की पुलिस ने गांव की पार्टीबाजी व राजनैतिक दबा के कारण झूठा व फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है। सहअभिुक्त अली अहमद के पुत्र जुनैद व हारून व मु0अ0सं0–271/2026 अन्तर्गत धारा 191(2),191 (3), 109(1),352,351 बी०एन०एस०एस० के अभियुक्त ने जान से मारने की नियत से सहअभियु अली अहमद के घर के बाहर हमला बोल दिया था जिसमें जुनैद व हान को गम्भीर चोटे आयी थी। 14. यह कि उक्त लोग मु0अ0सं0–271/2026 की घटना कारित करते हुए सी०सी०टी०सी० में आ रहे है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शायी गयी धाराओ का कोई आरोप साबित नही होता है। उक्त केस के वादी सन्तराम, मजरूबा शायदा चश्मदीद गवाह गौतम पुत्र विजयपाल, विक्की पुत्र वेदप्रकाश के बयानो में भी कोई ऐसा साक्ष्य आजाद व आसिफ के विरूद्ध नही है आजाद व आसिफ का नाम वादी पक्ष के लोगो ने थाना हाजा से साज करके उक्त मुकदमें में झूठा व फर्जी दर्शाया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कोई अपराधिक इतिहास नही है ना ही किसी केस में सजायाफ्ता है। जो दिनांक 18.6.2026 को माननीय न्यायालय में आत्म समर्पण करके जेल गये है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय या उच्च न्यायालय में विचाराधीन नही है। प्रार्थीगण /

अभियुक्तगण मान्य न्यायालय की सन्तुष्टि के लिये उचित जमानत देने के लिये तैयार है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण / अभियुक्तगण को मुकदमें के दौरान जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित करने की कृपा करे।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा श्री सन्तराम ने थाना परतापुर पर दिनांक 25.03.2026 को समय 02.50 बजे इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की कि– सन्तराम पुत्र छोटन जाटव निवासी ग्राम– काशी थाना परतापुर जनपद मेरठ करीब 70 वर्ष एक मजदूरी पैसा करने वाला परिवार है। जो अनुसूचित जाति– जाटव परिवार से है। प्रार्थी का पोता अपने दोस्तो के साथ नितिन –पुत्र विनोद व अर्जुन पुत्र मुनोश के साथ हर रोज की भाति फिजिकल/रिंनिग समय करिब शाम 6:30 बजे कर रहे थे। तभी वहा हासिम पुत्र नामालू व 6–7 अज्ञात लड़को से झगडा हो गया था जिसकी सूचना बच्चों ने घर पर आकार प्रार्थी व प्रार्थी के पुत्र सुनिल जाटव व कपिल जाटव व विक्की पुत्र बेदो उक्त लोगो के घर वालो से बात करने और सुलह करनो को उक्त लोगों के घर जा रहे थे। तभी रास्ते में एक मसवरा राय करके लाठी डन्डो और धारा धार–हथियार से लैस हारून मलिक पुत्र नामालुक इशरार पुत्र नामालुक बालो पुत्र नामालुक शाकिर पुत्र जाबो भुरा पुत्र इदरिश व भूरे के दोनो भाई इदरिश पुत्र नामालुक हारून पुत्र नामालुक उवेश पुत्र खलिफा पुत्र प्रवेज शहजाद पुत्र इलियास फुरकान पुत्र खलिफा इमरान पुत्र खलिफा मुजामिर मास्टर पुत्र नामालूम नमन पुत्र सप्पो हसन पुत्र सप्पो मल्लू चाय वाले के दोनो लडके सुक्के नम्बर दार पुत्र नामालुक रजिमुल्ला पुत्र नामालुक दनिश पुत्र नामालुक जुनेद पुत्र अलि हमद हारून पुत्र शाकिर शाकिर पुत्र जावेद शादाब पुत्र इदरिश शलीम पुत्र नवाब फैज आलम पुत्र सकुर कैफे बाले फैजान पुत्र नामालुक अन्य करिब 100–150 लोग अज्ञात लोगों ने हमे आता देख रोक लिया और हमे जाति सुचक शब्द चमार चटा कहते हुये जान से मारने की धमकी देते हुये। जान से मारने कि नियत से हमला व पथराव कर दिया जिसमे प्रार्थी के पुत्र कपिल व सुनिल को भीड ने बिच में घेर लिया और धारा धार हथियार से हमला कर दिया ज़ो गम्भीर चोटो में कारण बेहोस होकर सड़क पर गिर गये प्रार्थी के दोनों पुत्रो को मरः समझ कर छोड दिया जिसकी सुचना ग्राम वासियो द्वारा घर पर मोनिका पत्नी सुनिल व शारदा पत्नी सन्तराम को लगी तो वह रोती बिलखती उक्त स्थान पर पहुंची तो उक्त व्यक्तियों ने उन दोनों के साथ गाली गलोच मारपीट करते हुए उन को पास के ही घर में खिचने का प्रयास किया और कोई अज्ञात लोगों ने गुप्तागों से छेडछाड करते हुए दुश क्रम का प्रयास किया। महोदय आपसे निवेदन है। कि उक्त व्यक्तियो के विरुध्द मुकदमा पंजीकृत कर ऊचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने जो अपराध कारित किया है वह गम्भीर प्रकृति का है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा थाना परतापुर की आख्या व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का नियमित जमानत

प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. इस न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायकजिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रो के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्तगण नामजद नही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्तगण के अलावा 100–150 अज्ञात व्यक्ति भी दर्शाये गये है। दौराने विवेचना प्रार्थी/अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में आया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण जिला कारागार मेरठ में निरूद्ध है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, प्रकरण के गुणदोष पर बिना कोई मत व्यक्त किये अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्तगण का नियमित जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. आजाद व 2. आसिफ** पुत्रगण नौशाद उर्फ खलीफा निवासी–ग्राम काशी थाना परतापुर, जिला मेरठ की ओर से मु०अ०सं० 170/2026 अन्तर्गत धारा–191(2), 191(3), 126(2), 131, 115(2), 109(1), 352, 351(3) बी.एन.एस. व 3(2)5 अनुसूचित जाति, जनजाति निवारण अधिनियम 1989, थाना परतापुर जिला मेरठ के प्रकरण में प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थना पत्र सं० 3252/2026 स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/–(पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो–दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

1. जमानत पर छूटने के पश्चात अभियुक्तगण द्वारा निष्पादित बन्ध पत्रों की शर्तों के अनुसार न्यायालय में हाजिर होगा।
2. जो अभियोग प्रार्थी/अभियुक्तगण पर लगाया गया है ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्तगण जमानत पर छूटने के बाद गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा और न ही साक्ष्य से छेड़छाड़ करेगा।
4. प्रार्थी/अभियुक्तगण विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

दिनाकः– 03.07.2026

(अमित वीर सिंह)
विशेष न्यायाधीश, एस०सी०/एस०टी० एक्ट मेरठ।
जे०ओ० कोड यू०पी० 6240

This is uncertified copy for information/reference.
For authentic copy Please refer to certified copy only.

Digitally signed by AMIT VEER SINGH
Date: 2026.07.03 17:25:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court